समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O)   मो0–854442612
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.in   ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 08.03.2018 को आयोजित खरीफ विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत् धान अधिप्राप्ति टॉस्क फोर्स बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितः– यथा पंजी।

आज दिनांक 08.03.2018 को जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति टॉस्क फोर्स की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें धान अधिप्राप्ति वर्ष 2017–18 के सफल कार्यान्वयन हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

1. **पैक्स/व्यापार मण्डलों द्वारा की गयी अधिप्राप्ति से संबंधित समीक्षा :–** जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत 101 पैक्सो तथा 4 व्यापार मण्डलों का चयन अधिप्राप्ति कार्य के लिए हुआ है। तथापि 72 पैक्स तथा 4 व्यापार मण्डलों द्वारा ही अधिप्राप्ति कार्य प्रांरभ किया गया है। प्रतिवेदित तिथि तक कुल 1324 किसानों/बटाईदार किसानो से कुल 11968.28 एमटी0 धान की अधिप्राप्ति की गयी है। जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अधिप्राप्ति की गति बढ़ाने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर तथा सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर द्वारा स्पष्ट किया गया कि राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा CMR राशि का भुगतान विलंब से प्रारंभ किया गया है जिसके कारण भी अधिप्राप्ति की गति धीमी है। CMR भुगतान प्रारंभ होने से कैश क्रेडिट राशि का Rotation प्रारंभ हो जाएगा, जिससे अधिप्राप्ति में तेजी आएगी।

पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा धान/चावल अधिप्राप्ति का दैनिक प्रतिवेदन (दिनांक 08.03.2018)

क्र0	प्रखंड का नाम	चयनित पैक्स/ व्यापार मंडल की संख्या		अधिप्राप्त करने वाले व्यवहृत कृषकों की संख्या	निर्धारित लक्ष्य	स्वीकृत कैश क्रेडिट की राशि	जिलावार धान का लक्ष्य	प्रतिवेदित तिथि तक अधिप्राप्ति की गई धान की मात्रा	प्रतिवेदित तिथि तक तैयार की गई CMR की मात्रा	राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति किये गये CMR की मात्रा	अवशेष CMR की मात्रा	अब तक कृषकों को भुगतान की गई कुल राशि	अब तक SFC से प्राप्त भुगतान की कुल राशि
		पैक्स	व्यापार मंडल										
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
1	Barhampur	8	0	41	7398.00	254.14	87000.00	384.4	0.00	0.00	0.00	3715350	0.00
2	Buxar	12	1	101	7634.00	289.60		958.21	270.00	216.00	54.00	14080355	0.00
3	Chakki	3	0	0	138.00	4.89		0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
4	Chaugain	5	0	60	4658.00	180.50		535.4	108.00	54.00	54.00	7086600	0.00
5	Chausa	9	0	148	6443.00	245.85		1099.9	405.00	378.00	27.00	16577250	0.00
6	Dumraon	12	1	86	9044.00	311.57		694.12	108.00	81.00	27.00	9813360	0.00
7	Itarhi	15	1	382	16229.00	646.06		3459.75	478.00	459.00	19.00	46663401	0.00
8	Kesath	2	0	6	1591.00	54.85		40.3	0.00	0.00	0.00	570400	0.00
9	Nawanagar	13	1	178	13219.00	491.62		1658.2	91.00	81.00	10.00	19282000	0.00
10	Rajpur	12	0	320	19435.00	675.99		3129.3	324.00	297.00	27.00	38250900	0.00
11	Simri	10	0	2	711.00	24.05		8.7	0.00	0.00	0.00	49600	0.00
TOTAL :-		**101**	**4**	**1324**	**86500.00**	**3179.12**		**11968.28**	**1784.00**	**1566.00**	**218.00**	**156089216.00**	**0.00**

2. **CMR का प्राप्ति/भुगतान से संबंधित समीक्षा :–** प्रतिवेदित तिथि तक 1566.00 एमटी0 CMR पैक्सों द्वारा जमा किया गया है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा CMR प्राप्ति का गति बढ़ाने का निदेश जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को दिया गया। कुल अधिप्राप्ति 11968.28 एमटी0 धान के समतुल्य CMR, 8018.74 एमटी0 होता है जबकि प्रतिवेदित

तिथि तक मात्र 1566.00 एमटी0 CMR ही राज्य खाद्य निगम, बक्सर को प्राप्त है। स्पष्ट है कि 6452.74 एमटी0 CMR पैक्सों/व्यापार मण्डलों द्वारा राज्य खाद्य निगम, बक्सर को आपूर्ति नहीं किया गया है। इस संबंध में सभी प्रखण्डों, प्रमुखतः राजपुर, इटाढ़ी, बक्सर, चौसा एवं नावानगर के पैक्सवार अधिप्राप्ति की गहनता से दैनिक समीक्षा कर शत्–प्रतिशत CMR राज्य खाद्य निगम, बक्सर को आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा CMR भुगतान की धीमी प्रगति पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अविलंब प्राप्त CMR का शत्–प्रतिशत भुगतान करने हेतु निदेशित किया गया। बैठक में नवपदस्थापित जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा टॉस्क फोर्स को बताया गया कि CMR का भुगतान प्रारंभ हो गया है। कुछ पैक्सों के कागज में त्रुटि है जिसका निराकरण कराया जा रहा है। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर ने प्रतिवेदित किया कि मार्च के महीने में भुगतान किया जाना आवश्यक है ताकि प्राप्त कैश केडिट की राशि का ससमय Rotation सुनिश्चित किया जा सके।

3. **अधिप्राप्ति का भौतिक सत्यापन से संबंधित समीक्षा** :– प्रतिवेदित तिथि तक कुल 72 पैक्स तथा 4 व्यापार मण्डल द्वारा कुल 11968.28 एमटी0 धान का अधिप्राप्ति किया गया है। इस संबंध में टॉस्क फोर्स द्वारा पूर्व में ही जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर, जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव, प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को प्रति सप्ताह न्यूनतम 3 पैक्सों का भौतिक सत्यापन अचूक रूप से करने का निदेश दिया गया है परन्तु प्रतिवेदित तिथि तक काफी कम पदाधिकारियों के प्रतिवेदन प्राप्त रहने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं अन्तिम चेतावनी देते हुए सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला बक्सर, सभी अंचलाधिकारी, जिला बक्सर, सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को न्यूनतम 3 पैक्सों/व्यापार मण्डलों का भौतिक सत्यापन अचूक रूप से कर सत्यापन प्रतिवेदन अविलंब अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करने का भी निदेश दिया गया (अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर, जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव, प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी)।
4. **CMR संग्रहण केन्द्र की जॉच से संबंधित समीक्षा** :– अधिप्राप्ति उप समाहर्त्ता, बक्सर एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर को प्रति सप्ताह CMR संग्रहण केन्द्र की जॉच करने एवं जॉच कर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया तथा प्रतिदिन कम से कम 10 लॉट का CMR प्राप्त करने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को दिया गया।
5. **पैक्सो/व्यापार मण्डलों एवं राइस मिलों के एकरारनामा संबंधित समीक्षा** :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुल कार्यरत 76 पैक्स/व्यापार मण्डलों में से 74 पैक्स/व्यापार मण्डलों द्वारा राइस मिलरों के साथ एकरारनामा कर लिया गया है। इटाढ़ी प्रखण्ड के नारायणपुर, बसॉव कला पैक्स द्वारा एकरारनामा नहीं किया गया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एकरारनामा नहीं करने वाले पैक्सों के विरूद्ध जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। साथ ही विभागीय नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया (अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर)।
6. **किसानों को भुगतान से संबंधित समीक्षा** :– प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मुख्यालय द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रतिवेदित तिथि तक किसानों को कुल 15.60 करोड़ रू0 का भुगतान कर दिया गया है। तथापि अधोहस्ताक्षरी द्वारा कुल अधिप्राप्ति किये गये धान 11968.28 एमटी0 के समतुल्य राशि 18.55 करोड़ के विरूद्ध मात्र 15.60 करोड़ रू0 किसानो को पैक्सो द्वारा भुगतान किये

जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा अवशेष राशि (2.95 करोड़ रू0) का भुगतान दो दिनों के अन्दर कराने का निदेश दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को पैक्सों/व्यापार मण्डलों द्वारा किसानों को प्रतिदिन भुगतान किये गये राशि तथा लंबित राशि से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से पैक्सवार प्राप्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी को दो दिनों के अन्दर समर्पित करने का निदेश भी दिया गया तथा भुगतान में विलंब करने वाले दोषी पैक्स अध्यक्षों/प्रबंधकों/पदाधिकारियों को चिन्हित करने का भी निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को दिया गया। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में भी लंबित भुगतान रहने वाले किसानों की सूची मांग की गयी थी, जो कि अप्राप्त है। तथापि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अन्तिम चेतावनी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को दिया गया (अनुपालन :- सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदधिकारी, जिला बक्सर/जिला सहाकारिता पदाधिकारी, बक्सर)।

7. **किसानों का Online निबंधन से संबंधित समीक्षा** :- प्रतिवेदित तिथि तक कुल 5416 किसानों का Online निबंधन किया गया है जिसमें से कुल 4537 आवेदन स्वीकृत है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः किसानों के निबंधन में तेजी लाने का निदेश दिया गया तथा अधिक से अधिक किसानों का निबंधन कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के द्वारा Online निबंधन की गति बढ़ाने का भी निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को दिया गया।

किसानों का Online निबंधन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन (दिनांक 08.03.2018)

क्र0	प्रखंड का नाम	निबंधित पैक्स/व्यापार मंडल की संख्या		चयनित पैक्स/व्यापार मंडल की संख्या		पंजीकृत किसानों की संख्या			
		पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	कुल आवेदन की संख्या	पूर्ण आवेदन की संख्या	अपूर्ण आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Barhampur	18	1	8	0	204	186	18	182
2	Buxar	16	1	12	1	629	562	67	561
3	Chakki	4	0	3	0	17	5	12	5
4	Chaugain	5	0	5	0	257	241	16	218
5	Chausa	10	1	9	0	626	605	21	595
6	Dumraon	16	1	12	1	334	305	29	298
7	Itarhi	15	1	15	1	1204	994	210	942
8	Kesath	3	0	2	0	115	88	27	86
9	Nawanagar	16	1	13	1	820	766	54	701
10	Rajpur	19	1	12	0	1171	959	212	923
11	Simri	20	1	10	0	39	36	3	26
TOTAL :-		**142**	**8**	**101**	**4**	**5416**	**4747**	**669**	**4537**

8. **किसान प्रतिनिधि के संबंध में समीक्षा** :- बैठक में किसान प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि किसानों के पास अब नाम मात्र का ही धान बचा हुआ है। किसानों को बाजार में 1400/- से 1600/- प्रति क्वीं0 धान का मूल्य प्राप्त हो रहा है। इस कारण अधिकाशतः किसानों ने अपना धान खुले बाजार में बेच दिया गया है। कुछ पैक्स अध्यक्षों द्वारा किसानों को भुगतान में जान बूझकर विलंब किया जा रहा है। इस संबंध में वैसे पैक्स अध्यक्षों को चिन्हित करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को दिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

15/03/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-238 / आ0, दिनांक 16/3/2018

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी / सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, आरा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 / सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, बक्सर / डुमरॉव / जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियॉ, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, बक्सर / अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव / जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, बक्सर / जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर / सभी वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर / जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर / जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिप्राप्ति उप समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, बक्सर–सह–नोडल पदाधिकारी, धान अधिप्राप्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/03/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-238 / आ0, दिनांक 16/3/2018

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/03/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।